संख्या-576/एक-10-2025

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देवरिया।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ दिनांक 03-07-2025

विषय-वितीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कोविड से बचाव/निपटने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि (एस०डी०आर०एफ०) से व्यय की गयी धनराशि के लम्बित देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1496/आपदा-2024, दिनांक 04 अक्टूबर, 2024 एवं पत्र संख्या-07/आपदा -2025, दिनांक 09 अप्रैल, 2025 तथा पत्र संख्या-48/आपदा -2025, दिनांक 21 मई, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रवासी श्रमिकों में वितरित की गयी राशन किट/ खाद्यान्न पैकेट के भुगतान हेतु श्री जय प्रकाश सैनी, प्रोपराइटर की फर्म द्वारा आपूर्ति खाद्यान्न पैकेट के सापेक्ष श्री जय प्रकाश सैनी की फर्म पलक इवेन्ट एण्ड कैटरर्स को भुगतान किये जाने हेतु अवशेष धनराशि रु0 1,20,47,000.00 आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2 - उल्लेखनीय है कि मा० उच्च न्यायलय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-27191/2024 पलक इवेन्ट एण्ड कैटर्स बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व 4 अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुये दिनांक 06.01.2025 को पारित निर्णय/आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत हैः-

> In light of the same, we direct the Special Secretary, UP Government (Revenue Department-10), Lucknow to release the amount as indicated above to the District Magistrate, Deoria within a period of three weeks from date. After receipt of such amount, the District Magistrate, Deoria is directed to the make payment to the petitioner forthwith, if possible, within a week.
> In view of above directions, the writ petition is disposed of.

3- मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उक्त निर्णयों/आदेश के अनुपालन में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/अनुरोध के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2025-26 में कोविड-19 के दौरान सप्लाई किये गये राशन किट की अवशेष देनदारी के भुगतान हेतु आपूर्तिकर्ता फर्म पलक इवेन्ट एण्ड कैटरर्स को अवशेष धनराशि रु0 1,20,47,000.00 (रूपये एक करोड़ बीस लाख सैंतालीस हजार मात्र) का भुगतान किये जाने हेतु उक्त धनराशि की वितीय स्वीकृति देते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के

अधीन जिलाधिकारी, देवरिया के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

1. जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। स्वीकृति धनराशि नियमानुसार व्यय करने हेतु आवंटित की जा रही है।

2. स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी, अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने की शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता हैं) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्वन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

4. स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के सम्वन्ध में शासनादेश संख्या- 2/1-11-2013-10-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति वनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2026 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाय।

5. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड- 5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या- 42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

6. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकडे समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

4- इस सम्वन्ध में होने वाला व्यय रू0 1,20,47,000.00 (रूपये एक करोड़ बीस लाख सैंतालीस हजार मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-

352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
SHAILENDRA MANI TRIPATHI
Date: 03-07-2025 19:19:12

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या-576 (1)/एक-10-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज। 1-

2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।

3- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।

5- सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई- बजट), राजस्व विभाग उ०प्र० शासन ।

6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।

7- सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी ।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।

9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-07/07/2025

प्रेषण संख्या:- 576
आवंटन आदेश संख्या:- 001-576
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	देवरिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	12047000 24547000	12047000 24547000
	योग	वर्तमान प्रगामी	12047000 24547000	12047000 24547000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ बीस लाख सैंतालीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ पैंतालीस लाख सैंतालीस हजार

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।